[Mr. Deputy speaker]
the Reserve Bank of India Act, 1934, the Industrial Finance Corporation Act, 1948, the state Financial Corporations Art 1951 the Life Insurance Corporation Act, 1956, and tne Unit Trust of India Act, 1963."

The motion was adopted

SHRI YESWANTRAO CHAVAN : I introduce† the Bill.

13.44 Hrs

MOTION *RE* WORKING OF FOOD CORPORATION OF INDIA—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : We take up further consideration of the following motion moved by Shri Atal Bihari Vajpayee on the 12th December, 1973 namely :—

"That this House do consider working of the Food Corporation of India".

Shri Shankar Dayal Singh was speaking on the last occasion. He may continue.

श्री शंकर दयालसिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष जी, मैं उस दिन जब भाषण दे रहा था तो अपने भाषण को समाप्त किया था कि आज जो मूल्य वृद्धि है, खाद्यान्नों का जो अभाव है, ऐसी स्थिति में भारतीय खाद्य निगम के कार्यों में कसावट की आवश्यकता है ।

13.45 Hrs

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

हमारे पहले के वक्ताओं ने भी उस दिन इस बात पर बल दिया था और माननीय वाजपेयी ने भी बहस की शुरूवात करते हुए यह कहा था कि खाद्य निगम में भ्रष्टाचार है, अनुशासनहीनता है, गैर जवाबदेही है और लोगों में काम करने की भावना की कमी है । कुछ हद तक हम लोगों ने भी इन बातों को सपोर्ट किया था और इसलिए किया था कि जो भारतीय खाद्य निगम के कार्य हुए हैं इधर उन को देखते हुए हमें यह कहना पड़ता है कि भारतीय खाद्य निगम को एक शक्तिशाली और सक्रिय संस्था होने के लिये कसावट की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में जो कदम उठायें हैं कृषि मंत्री जी ने और राज्य कृषि मंत्री ने वे भी सराहनीय हैं । लेकिन उस के साथ साथ यह कहने के लिये बाध्य होता हूं कि उन कदमों से अभी तक बहुत कुछ लाभ नहीं हुआ है । कुछ आंकड़े मैं ने उस दिन आप के सामने रखे थे मैं नहीं चाहता कि बहुत से आंकड़ों के माया जाल में आप को फसाऊं, लेकिन बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं जैसे भारतीय खाद्य निगम में आज गड़बड़ घोटाले की और चारियों की बात ही ले लें, इन की शिकायतें कब आयीं, किस तरह से आयी और किस साल में कितनी आयी, इस को जरा देखा जाय ।

सभापति जी, भारतीय खाद्य निगम में चोरियों से जो क्षति हुई है केवल तीन साल का ब्यौरा रखना चाहता हूं, 1958 में 63 घटनायें चोरी की हुई जिन में 2,42,275 रु० का नुकसान हुआ, 1969 में 69 घटनायें हुई चोरी की जिन में 4,92,637 रु० का नुकसान उठाना पड़ा, 1970 में 62 घटनायें चोरी की हुई जिन में 5,04,739 रु० का नुकसान उठाना पड़ा । और यह नुकसान वास्तव में किस को उठाना पड़ता है ? क्या वहां काम करने वालों को उठाना पड़ता है ? नहीं बल्कि यह नुकसान उठाना पड़ता है भारत की उस गरीब जनता को जिस के लिये भारतीय खाद्य निगम कृत-संकल्प है, जिस के लिये इस की स्थापना की गई थी, जिस के लिये भारतीय खाद्य निगम का दावा है कि हम उस के लिये यह काम कर रहे है ।

मान्यवर, यही बात नहीं है, पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने 5 सालों में जो

---

†Introduced with the recommendation of the President.

स्टोरेज लासेज दिये हैं वे 21 करोड़ 96 लाख के होते हैं 1966 से ले कर 1971 तक और इस सम्बन्ध में पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी ने यह लिखा है :

"The committee find that the FCI suffered a total storage loss of Rs. 21.96 crores during 1966-67 to 1970-71. The committee are not impressed with the plea that viewed against the total turnover their losses were not much."

ढुलाई के समय ट्रांजिट लास 1965-66 में 1.58 प्रतिशत था लेकिन 1968-69 में 3.26 परसेंट हो गया। मान्यवर, भारतीय खाद्य निगम की वकालत हम सभी ने की है बराबर, और इसलिये की है कि जिस समय दुर्भिक्ष की स्थिति थी, अभाव की स्थिति थी, जिस समय कहीं गल्ला उपलब्ध नहीं हो रहा था, उस समय भारतीय खाद्य निगम ने अच्छे काम किये हैं। इस की स्थापना 1 जनवरी, 1965 में हुई थी उस दिन यह उद्देश्य था कि भारतीय खाद्य निगम उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच एक सेतु बनेगा जिस से करोड़ों लोगों को लाभ होगा।

हम मूल्य निर्धारण की ही बात ले लें 1969-70 में 70 रु० प्रति क्विंटल 1970-71 में 72 रु० प्रति क्विंटल और 1971-72 में 74 रु० प्रति क्विंटल और अब 90 रु० प्रति क्विंटल का भाव इस के द्वारा निर्धारित हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम का काम केवल उपभोक्ता के संतोष के लिये ही नहीं है, बल्कि उन किसानों के लिये भी है जो अनाज पैदा करते हैं। इसलिये अगर किसानों के मन में यह बात हो कि हम जो पैदावार करते हैं उस में लागत अधिक है लेकिन खाद्य निगम की ओर से कम पैसे दिये जाते है तो इस पर भारतीय खाद्य निगम को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

सब से बड़ी बात यह है, कई वक्ताओं ने कहा है, रोज अखबारों में निकलता है कि भारतीय खाद्य निगम में जो कर्मचारी काम करते है वे अनुशासनहीन है, इस में जो लोग काम करते है वे अपनी जवाबदेही को बिल्कुल नहीं समझते और पब्लिक अन्डरटेकिंग की जो रिपोर्ट आयी है भारतीय खाद्य निगम के बारे में उस ने भी इस की ओर ध्यान दिलाया है। अतः मैं कहना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि एक कसावट लाइये भारतीय खाद्य निगम के कार्यों में और ऐसी कसावट लाइये जिस से जनता को महसूस हो कि आप ने जो इतना बड़ा निगम स्थापित किया है वह जनता के हित में आप ने स्थापित किया है। पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ कमेटी ने कहा था कि बहुत अधिक अधिकारी और कर्मचारी फ० सी० आई० में है और उन पर बहुत अधिक निगम का व्यय हो जाता है। पिछले दिनों जब चर्चा हो रही थी तो मैंने एक प्रश्न का हवाला दिया था जो मैंने इसी महीने की दस तारीख को पूछा था और जिस के उत्तर में राज्य कृषि मंत्री जी ने यह कहा था कि अभी आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे है। बारह तारीख को जब यहां भारतीय खाद्य निगम के कार्य कलापों पर बहस हो रही थी तो मैंने फिर अपने प्रश्न को दोहराया था। मंत्री जी ने तब कहा था कि संसद की कार्रवाई समाप्त होने से पहले इसका वह उत्तर दे देंगे। मुझे खुशी है कि उनका उत्तर आज मेरे पास आ गया है। उस दिन जो मौखिक उत्तर दिया गया था और आज जो दिया गया है उन दोनों में समानता नहीं है। उस दिन कहा था कि भारतीय खाद्य निगम में 44 हजार कर्मचारी काम करते है। यह 12 तारीख को कहा था। लेकिन आज 22 तारीख को, यानी दस दिन के बाद कहते है कि 57 हजार करते है।

[श्री शंकर दयाल सिंह]

इसका मतलब हुआ कि दस दिनों के अन्दर 13 हजार की उनकी संख्या में वृद्धि हो गई ।

बार बार इस तरह की समस्यायें यहां आई है । कर्मचारी अधिक है और वे काम नहीं करते है । अधिक कर्मचारियों के होने की वजह से काम में गड़बड़ी होती है, अधिक कर्मचारी होने की वजह से बोगस बिल बनते हैं, उसकी वजह से मुनाफा कम होता है, घाटा होता है । इस वास्ते यह जरूरी है कि फालतू कर्मचारियों को आप हटाएं । मुझे जहां तक स्मरण है 7700 कर्मचारियों के बारे में कहा गया था कि उनकी छंटनी होनी चाहिये । मैं इसका समर्थन करता हूं । जो फालतू कर्मचारी हैं उनको आप हटाएं और काम में आप कसावट लाए ।

जो पिछले खाद्य निगम के चेयरमैन थे उनके जमाने में बहुत तरह की बातें सुनने में आई थीं, उन पर वाद विवाद भी हुआ था कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई थी । अब जो नए चैयरमैन आए है मैं चाहता हूं कि काम के मामले में उनका इकबाल बलन्द हो, नाम के मामले में नहीं जैसा की पिछले दिनों नाम के मामले हुआ था । वह मैं नहीं चाहता हूं ।

मैं चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जिन उद्देश्यों को ले कर की गई थी उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए शीघ्र ही कारगर कदम उठाए जाएं । उस सम्बन्ध में मेरे निम्न सुझाव हैं । पहला यह है कि खाद्य निगम केवल अन्न का काम करें । कभी कभी दियासलाई का काम, चीनी का काम या दूसरी चीजों का काम इसके जिम्मे दिया जाता है वह न दिया जाए ।

खाद्य निगम के अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी अपने को साहब नहीं सेवक समझें । ऐसा नहीं होना चाहिए कि पांच बजे और फाटक बन्द । फिर चाहे गेट पर सो, दो सो और चार सौ ट्रक खड़े हो और उनको कह दिया जाए कि गल्ला नहीं देंगे चाहे जनता भूखी मर रही हो । महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कहा था कि प्रति ट्रक 35 रुपये राज्य सरकार को घूस देने पड़ते हैं । इस तरह के उदाहरण आगे से हमारे सामने नहीं आने चाहियें ।

भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के जो मामले होते रहते हैं जिन का एक विवरण आज ही मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने दिया है और उन्होंने बताया है कि 152 ऐसे केसिस हैं जिन के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उनको कड़ाई से रोका जाना चाहिए और इस तरह की चीजों को मिटाने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठाए ।

राज्य सरकारें जो अपने निगम बनाने जा रही हैं, राज्य निगम उनको आपको इस में सहयोग देना चाहिये । भारतीय खाद्य निगम को अपना घाटा भी पूरा करना चाहिये और अपना ऐम भी कुछ व्यवस्थित करना चाहिये । राज्य सरकारों को ही मदद देकर उनको अगर यह काम सौंप दिया जाए तो ज्यादा उत्तम हो ।

SHRI SAMAR GUHA (Contai) Mr. Chairman, Sir, in tne Food Corporation of India our country, our Government have made a colossal investment, more than in any other public sector body......

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) There is the Railways also.

SHRI SAMAR GUHA : ....except, perhaps, the Railways. I stand corrected. This is one of the intstitutions where the colossal national investment has been made. It has become really an institution of colossal wastage, colossal corruption, colossal inefficiency, I should say, creating colossal problem the country.... Because food is the key to all major problems. including the fluctuation of prices. Therefore, when I use the word "colossal"

I used it with all sense of responsibility. If I have sufficient time today, I can prove with facts and figures why I have used the word "colossal" in regard to corruption and other matters.

I regret to say that the Food Ministry, including the Ministers, has also colossaly failed to tackle the problem of the Food Corporation of India. The Prime Minister has undertaken a number of reshufflings but I do not know why the first thing that should have been done was to do the reshuffling of the Food Ministry. I know Shri F.A. Ahmed is a very fine gentleman but too soft to deal with the crookedness with which the whole structure of the Food Corporation reflects. The hon. Minister, Shri Annasaheb Shinde, has been too long dealing with this Department. He has himself got involved in the whole affairs of the F.C.I. It would have been more honourable and, perhaps, in the interest of the country if they had themselves offered to quit the Ministry and undertake the responsibility of some other Ministry. What is required to deal with the food problems is that our Ministers should have initiative, drive, imagination and real commitment to the policy of distribution of food through the public sector agency.

About the Food Corporation of India, if there is any public sector body which needs a complete overhauling not only in regard to its policy but in regard to its structure and also in regard to its functioning, it is this body. One hon. Minister himself, in one of his statements that he made in Bombay, said about the corruption in the F.C.I. This aspect has been discussed on innumerable occasions on the floor of the House and also in the public forum that nearly Rs. 200 crores are being spent on freight charges, handling charges, travellling expenses, godown handling chargs, depreciation and other overhead charges. It was the opinion that even 25 per cent of the cost can be minimised. Butthe Government has not come forward with any reasonable explanation inchallening the statement that has been made on the floor of the House, as also in this public forum, the reason is that there have been innumberable instances. I can cite examples of corruption in regard to trade, in regard to transport in regard to storage, and in regard to many other aspects.

14 Hrs.

The Government is engaging private contractors and are paying 23.5 paise for handling 100 bags. That could have been done with the employees of the Corporation itself at 10 paise for 100 bags. The Corporation has engaged private storing agents and are diverting a major portion of the foodgrains to the private godowns instead of keeping them in their own and other government godowns. 66 per cent of their godowns are lying unused in Orissa alone; only 33 per cent of the godowns are used. On the other hand, private godowns, hired godowns, are used. The Government has not gone into this whether private godowns, hired godowns, could have been avoided, whether they could have utilised Government's own ware pusing facilities, whether the Corporation could have used the maximum capacity in their own godowns. This has not been gone into.

Corruption, pilferage and the theft of foodgrains are regular features. In Bihar alone the losses came to Rs. 5 to 6 crores. In West Bengal and Orissa, the losses were Rs. 3 crores. I can cite many instances how crores of rupees are being misused by the contractors and private storage agents. The rice mill scandal in Orissa needs a special mention. Only two mills misappropriated foodgrains to the tune of Rs. 30 lakhs !

In West Bengal about 900 lorries supplied by the transport contractor have been caught by the workers for pilferage of foodgrains—worth Rs. 2 crores, in West Bengal alone. But no steps have been taken against them. There are also other cases.

Now I come to demurrage. These contractors do not clear the goods in railway sheds and the wagons remain for months. I will cite one example. In Sealdah railway siding, no food wagon was there during the period 10-7-1971 to 24-2-1972, but the Food Corporation have paid Rs. 4 lakhs as demurrage. Unfortunately, demurrage and other items of corruption are covered. The pilferage, theft, etc. of foodgrains are not shown in the Corporation's financial account as such; they are grouped under 'transit and storage account'. I will point out one instane. In Ludhina, one Mr. Jag Mohan Varma, a very loyal

[Shri SAMAR GUHA]

officer, caught redhanded an officer who used all old gunny bags in place of new ones. He caught that officer and that officer was transferred. What happened? There was an inquiry. Perhaps the inquiry committee said that an award should be given to this loyal and honest officer. But he was a union man. As a result he was transferred to Rudranagar in UP.

In the matter of economic drive, what did the Government do? They said two things. They wanted to retrench 945 employees, on the plea that now the *Rabi* season is over. Then they have reverted 1300 employees. What is the saving? Only Rs. 2.5 lakhs per month. Sir, you will be astonished to know that during the last two years, while class III officers are being retrenched and everted, officers drawing salaries over Rs. 1000 are being recruited. 307 officers were recruited and 70 officers were upgraded and new posts of Deputy commercial Manager, Personnel Manager and many other new posts are being created.

Now, Sir, about Rs. 291 crores are outstanding with the State Governments, Defence Ministry and other departments. on the contrary the FCI is paying interest to the extent of 8.5% per annum, but only if this money that is due to the FCI could be collected from the State Governments and other Departments the price of wheat would have come down. But they could save only Rs. 2.5 lakhs per month on these few officers.

Now, unfortunately, I use the word 'unfortunately' the new Chairman of the FCI is a gentleman from the Security Intellgence Service. He started what? He has set up a new security cell which will cost Rs. 30 lakhs and it may go upto Rs. 1 crore whereas, as I said, only Rs. 2·5 lakhs are required for these employees, whom they are shunting out while, at the same time, they are recruiting higher officers.

As I started, I would say that if the Government really want to deal with the food problem of the country effectively, then the Food Ministry should be reshuffled and a Minister with imagination, drive and a new spirit, a new spirit of commitment should undertake the responsibility and the FCI should be comletely overhauled with regard to its policy, with regard to its structure and in regard to its functions.

Lastly, a committee, a very high-power expert committee should be immediately instituted to go into the functioning of the FCI and see whether the public challenge that was made on the floor of the House as also from the public that 25% cost can be minimised by properly dealing with the aspects that I have already mentioned is correct.

SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA (Amritsar) : Mr. Samar Guha just now said that the FCI has created a colossal problem to this country and that the F.C.I. has not been able to fulfil its objectives. He also mentioned about the rented godowns. With the role of the F.C.I. I will come a little later as to how a useful role is being played by this institution in the food economy of the country. Before that I would like to tell him that every State has got targets for procurement and the godowns have to be kept ready. If the procurements are not upto the mark, naturally, the godowns will be empty.

If the targets are fulfilled then shall the F.C.I. go to Mr. Guha and ask him to produce godowns ? Not at all. In order to achieve the procurement they have to be kept ready. Take for instance Bihar. Bihar offered to procure about 6 lakh tonnes of foodgrains but it only procured 30,000 tonnes. I would like to have a suggestion from him what the F.C.I. should do in such matters. I am very sorry to say that the role of this institution has not been properly appreciated in this House. This has worked very nicely and helped the food economy of the country. The basic objectives of this organisation are these: (1) to lend price support to foodgrains; (2) To build up buffer stocks so that we may need it at the time of our needs; and (3) To make foodgrains available to the consumers at reasonable price. I would like to say that the F.C.I. made the endeavour to fulfil these objectives and they have done this jhb quite successfully. When the Food Corporation was not there the price of foodgrains in the market at the time of arrival was the

the lowest. If we see all the year round, at the time of the lean period, the prices would go up. The farmers would clamour that then they offer the foodgrain prices are the lowest, and when the season is over it rises much more. Thus their objection was that they were not getting the proper price for foodgrains. Advantages were taken by middlemen who used to hoard the food grains and sell them at a profit during the lean period. Now, the F.C.I. has eliminated all this and thus it has proved to be a friend of the farmer. All the year round the price of procurement is the same and it is giving food grains at the same price to all the fair price shops.

Shri Atal Bihari Vajpayee mentioned regarding some complaints about low price being offered to the farmers. That may have happened. I can conceive because where the farmer has not offered the fair quality of foodgrains or being not up to mark or specifications.

The second object of the F.C.I. was to create enough buffer stock and have sufficient storage in the country. At the outset when the Food Corporation was organised the total available capacity in the country was something like 6.18 lakh tonnes. Now they have raised it to 28.87 lakh tonnes plus the rented capacity for a total of 78.60 lakh tonnes. In order to meet such a big storage, in order to have a buffer stock like this it is very necessary that we are bound to incur great deal of interest because huge amount is involved and interest is bound to be heavy. If we do not have the buffer stocks naturally then the price will go down. Therefore, it is the objective of the F.C.I. to have buffer stock and to have enough stocks so that this may be used at the time of our needs.

The third objective for the F.C.I. is to give foodgrains and to make foodgrains available to the consumers at reasonable prices. Distribution is mainly the function of the State Governments and in some places where the States have not undertaken distribution the F.C.I. has come forward to perform this function but by and large what we have seen is that the F.C.I. has been able to give adequate supplies to the Fair Price Shops. In this way, the consumer has been able to get the foodgrains at the price fixed by the Government.

Now I come to the main charge that there have been heavy expenses. I do agree that some of the expenses are to be looked into. In this respect, I would request the Minister to appoint some departmental committee to go into the cases where the heavy expenditure had been incurred. Mainly the expenditure is about Rs. 2 being the mandi charge which, in any case, the F.C.R. or if any business man goes and purchases the grains in the market has to pay for. As regards the freight charge of Rs. 3.64 if somebody buys grains from Punjab —surplus area—or if Bengal Government wants to purchase it, they will have to incur this charge Rs. 7 or 8 or 9 per quintal. This is the F.C.I.'s pool price all over India and it is fixed price. This is the transport charge. That is why it is so low as Rs. 3.64. Even if it is to be transported from Punjab to Delhi and at the same time to Calcutta, Rs. 3.64 is the pool price and I do not think that there is anything that we can do about that.

As I mentioned earlier, we have to create a big buffer stock for our own requirements in the lean months. On foodgrains, if such a colossal amount is invested, the interest is bound to be high. If we do not have stocks, then what shall we get at the time of our need ? We may not have anything at all. The next item that worries us is about the administration charge of Rs. 2.76. This is the item which Government must look into. There is room for reduction in this amount. In certain States there is no procurement. Why then we should keep so much staff there There should be less staff here. I do agree with it. Now the functions of F.C.I. have been passed on to the States Food Corporation. It will be their function to procure the foodgrains. In certain States like Orissa and Bihar there is no procurement there. Why should we have such a heavy financial stake there ? I do not rule out the possibility of the transport charges being slightly higher. In this case what we find is that sometimes the food is transported by trucks and sometimes by rail. Whatever grains that may fall in transit they are taken by the people. At the destination station ultimately we do find that there is a shortage in the quantity of foodgrains

[Shri RAGHUNADAN LAL BHATIA]

in the bag. Certain cases have also been brought to the notice of the Government in this regard and action has been taken.

Now, the objection is this. Why are the functions of the F.C.I. being given to the State Governments ? Why should they have the Food Corporation when it is not buying more than 20 to 25% of the requirements ? In the surplus areas like Punjab, Haryana and western U.P. there are certain State Agencies also which are purchasing all the foodgrains. Take for example the Marketing Federation. The State Governments are buying from them their local requirements. There the functions of the F.C.I. are being performed by the State Government. As we all know, food is a common subject— it is a subject of the Centre as well as the States. Some States have come forward for having their own Food Corporations. It is a happy augury. They have now taken up the responsibility of procuring, storing and distributing foodgrains. In this way the burden of the F.C.I. is also lightened. We are glad that we are transferring this function to the States Food Corporations

I would request the Minister to go into certain problems that may arise out of this function. First is that the surplus States may not pass on their surplus food to the central pool. Who would look into this thing ? What about the targets? They would like straight way to have more and more foodgrains for their use; at the time of national need or at the time of floods or drought, will the surplus States be able to give food to the Central pool ? This is one point which the hon. Minister must look into while this function is being transferred.

Secondly, what will happen to the surplus staff of the F.C.I. ? Will they they be asborbed by the Food Corporations of the States ? This also must be looked into. The people who are already serving the F.C.I. should not be out of job.

Thirdly, I would like to know whether the Food Corporations of the States will have adequate funds with them to purchase these colossal amounts of foodgrains and store them as buffer stock ? This is more or less an administrative point, and I hope Government will look into it.

I w[illegible] t that a big change has come in the F.C.I. after the appointment of the new officer who is very able and who as Director-General has already handled foodgrains in Punjab and is thus a very experienced man, and I am sure tha all the drawbacks which we have noticed so far whether it be in regard to to transportation or in regard to extra cost or with regard to pilferage will be certainly looked into by him, and I am quite sure that he has the capacity to manage all these affairs to the entire satisfaction of our country or nation.

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : माननीय सभापति जी, वाजपेयीजी ने इस सदन में फूड कारपोरेशन के बारे में जो चर्चा उठाई है, मैं समझता हूं कि ठीक काम किया है। इस पर अगर उन का यह इरादा हो कि चूंकि फूड कारपोरेशन कुछ व्यापारियो को रिप्लेस करने जा रहा है, चूंकि उन का धन्दा छिन जायगा, इस लिये उन को खुश करने के लिये यह मामला यहां उठाया है...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आप ने मेरे भाषण को नहीं सुना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठीक है मैंने उन के भाषण को नहीं सुना है, इस लिये मैं किसी बैक-ग्राउण्ड में जाये बिना कुछ कहना पसन्द नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि यह संस्था हमारे देश के लिये बहुत जरूरी है, इस का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, कन्ज्यूमर्स को फायदा पहुंचाना है, बीच में कम से कम खर्चा लगा कर अच्छे तरीके से व्यापार करना है इस लिये मैं इस के सम्बन्ध में अवश्य कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में अकाल भी पड़ते हैं, कई तरह की मुसीबत आती हैं, जब अच्छी फसल हो, अच्छा जमाना हो तब व्यापारीयों के डिमाण्ड और सप्लाई के कानून के मुताबिक हमारा गेहं इतना नीचे गिर जाता है कि किसान को फायदा नहीं होता

और उसका असर अगले साल के उत्पादन पर पड़ता है--इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए इस संस्था का देश में होना बहुत जरूरी है। इस लिये जिस इरादे से यह संस्था बनी है, वह इरादा बड़ा नेक है। इस कारपोरेशन ने इस देश में काफी काम किया है—बफर स्टाक बनाये हैं, जब मुल्क में धान नहीं था, इस संस्था ने बाहर के मुल्कों से धान मंगा कर स्टाक किया और लोगों को बांटा। आज तो हमारे देश में किसान काफी धान पैदा करने लगे हैं, सिवाय कुछ अकाल के सालों को छोड़ कर हम काफी सैल्फ-सफिशियन्ट हो गये हैं। ऐसे समय में सारा खाद्यान्न किसानों से वक्त पर खरीद कर उन को उत्पादन का सही दाम देना उसके बाद स्टोर कर के कुछ अकाल के सालों को छोड़ कर हम कन्ज्यूमर्स को पूरे साल भर तक उस धान को ठीक तरह से बांटना—यह सब काम इस संस्था ने किया। इस काम को करने में इन्होंने काफी बड़ा स्टाक बनाया, गोडाउन्स की व्यवस्था की। इतने बड़े काम में कुछ गलतियां भी हुई हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। इतने बड़े काम को करने में कारपोरेशन का जो उद्देश्य है, जो दृष्टिकोन है, उसमें थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं--आज हम गावों से चावल खरीदना है, गेहूं खरीदना है, दूसरी तरह के अनाज खरीदने हैं——इस काम के लिये इन का गांव और मण्डियों के बीच जो लिंकिग है, वह ठीक नहीं है। ये आज भी पुराने व्यापारियों के साथ मिल कर काम करते हैं, यह तरीका गलत है। इस के लिये हमें कोआपरेटिव सोसाइटीज, रेगुलेटेड मंडीज और दूसरे लोगों का सहारा लेकर इस काम को ईमानदारी से करना चाहिये क्वालीटी की दृष्टि से अच्छा स्टाक खरीद कर किसान को तुरन्त दाम मिलना चाहिये, लेकिन इस काम में भी बहुत कमी है। इन कमियों को दूर करने के लिये यदि हमारे सदन के माननीय सदस्य जोर देते हैं तो वह वाजिब बात है। अभी हाल में इन्होंने शूगर डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी अपने हाथ में लिया है, इसी तरह से और भी काम बढ़ सकते हैं। कई राज्य सरकारें अपने खुद के कारपोरेशन बना रही है—इन कारपोरेशनों का, कोआपरेटिव इंस्टीचूशन्ज का, वेअरहाउसिंग कारपोरेशन का और रेगुलेटेड मार्केटस की चमेटियां का आपस में तालमेल नहीं है समन्वय नहीं है। इनसे जो लाभ उठाया जा सकता है, वह दृष्टिकोण फूड कारपोरेशन के अधिकारियों में कतई देखने को नहीं मिलता है। बहुत थोड़ी जगहों पर कोआपरटिव्ज का उपयोग किया जा रहा है, ज्यादातर काम प्रायवेट ऐजेन्टस् के द्वारा किया जाता है। माल खरीदते समय क्वालीटी इंस्पैक्टर्स की भी बहुत प्राबलम है। कोई माल खरीदते हैं, कोई रिजक्ट कर देते हैं और फिर वही रिजेक्ट किया हुआ माल थोड़ी देर बाद ठीक कर देते हैं—इस प्रकार की अनेकों शिकायतें हमारे पास आई है। यह एक व्यापारिक संस्थान है, इस का दृष्टिकोण एक व्यापारिक दृष्टिकोण होना चाहिये। इस के अधिकारियों का काम करने का, सोचने का और व्यवहार करने का बहुत अच्छा तरीका होना चाहिये अफसरशाही का तरीका इस में नहीं चल सकता है। आप चाहे इनको अच्छी तनख्वाह दीजिये, लेकिन ईमानदारी के साथ मालख रीदें जहां स्टोर करें वहां दवाइयों का छिड़काव करें

[श्री नाथूराम मिर्धा]

माल को खराब न होने दें उस को टाइम पर बेचे, इस सारे काम की देखरेख के अन्दर अच्छे अधिकारी हों, अच्छे चेयरमैन हों, इस में सुधार की बहुत गुंजाइश है।

इनका जो इन्सीडेन्टल खर्चा है, किसी व्यापारी के खर्चे के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जहां एक व्यापारी का 14–15 या 16 रुपये क्विटल खर्चा आता है, वहां इनका 26–27 रुपये खर्चा आता है —ऐसा क्यों है, इसको देखने की जरूरत है। इन्सीडेन्टल खर्चे को कम करने की कोशिश की जाय, माल टाइम पर खरीदा जाय, किसानों को उचित दाम दिया जाय, इस काम में स्टेट कारपोरेशनों, कोआपरेटिव सोसायटीज और रेगुलेटेड मंडियों का उपयोग किया जाय ताकि इन के इंस्पैक्टर्स जो आर्बिटरी पना चलाते हैं, वह न चले। सब का आपस में ताल मेल हो तथा एक दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार की व्यवस्था से हमारे किसानों को उचित दाम मिलेगा, कन्ज्यूमर्स को अच्छी क्वालीटी का माल मिलेगा। इन चीजों के दामों में बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिये, बिचौलिये जो शोषण करते हैं, उसको समाप्त कया जाना चाहिये और यह काम यह फूड करापोरेशन ही कर सकती है। इस लिये मैं यह समझता हूं कि इस संस्था की बुनियाद बहुत अच्छे सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन आज इस में जो कमियां हैं उन को दूर करने की जरूरत है। इस के लिये हमारी सरकार को निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, देखरेख रखनी पड़ेगी और इस कारपोरेशन में काम करने वाले अधिकारी अपने दृष्टिकोण को बदल कर काम करेंगे, जिस के लिये आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब यह काम ठीक तरह से चल सकेगा। इस में अगर ज्यादा आदमी हैं तो खामख्वाह खर्चा क्यों बढ़ाया जाय, वह खर्चा कन्ज्यूमर्स पर पड़ेगा, उस खर्चे को कम करने की जरूरत है। स्टाफ की जहां जरूरत है, वहां रखिये, अच्छे पढे-आदमी रखिए, लेकिन कम रखिये, एफिशियेटन्ली काम करनेवाले रखिये। यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये कि जो भी कचरा हो, सब इसमें भरते चले जायें। जो भी अफसर बन कर आये अपने दो-चार आदमियों को इसमें भर दे—यह चीज नहीं चल सकती।

इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्था ने काफी उपयोगी काम किया है। पिछले साल में उन्होंने 10 मिलियन टन अनाज का हैण्डलिंग कर के उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आज भी किसानों को पैडी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं और यह काम भी अभी काफी दिनों तक चलेगा। व्हीट की भी बहुत बडी क्राप आ रही है। कोर्स ग्रेन भी कई इलाकों में भी खरीदना है। एक बात बहुत जरूरी है कि इनको दूर दूर के भागों में जा कर माल खरीदना चाहिये। जब तक रीजनेबिल डिस्टेंस तक जा कर खरीद नहीं करेंगे तब तक किसानों को लाभ नहीं होगा। इस समय भी भाव काफी ऊंचे हैं। पैडी का प्रोक्योरमेंट तेजी से चल रहा है कोर्स ग्रेन में मका अभी भी काफी ऊंचे दामों पर बिक रहा है। आपको यह देखना चाहिये कि आप का जो लेवी का सिस्टम है उसमें किसान को कम से कम तकलीफ हो, इन सब कामों के लिये अधिकारियों का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बिचौलियों को हटाना पड़ेगा। फूड कारपोरेशन को मजबूत बनाना पड़ेगा और खाद्यान्न के अलावा और भी कई ऐसे काम हैं जोकि

इस कारपोरेशन से करवाने पड़ेंगे जैसे कि तेल और तिलहन का मामला है उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। हमको इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि समाज की बुनियादी जरूरत की जो चीजें हैं उनके उत्पादन के लिये किसान को हम वाजिब दाम दे सकें और साथ ही कंज्यूमर्स में वह क्वालीटी की चीजें समय पर और वाजिब दाम में वितरित कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति में यह कार्पोरेशन ही हितकारी साबित हो सकता है। इस कार्पोरेशन ने जो काम किए हैं उनमें कुछ खूबियां भी रही हैं लेकिन साथ साथ इस बड़े काम में कुछ कमियां भी देखने में आई है जिनको सुधारने की जरूरत है। इस दृष्टिकोण से इस सम्बन्ध में जो कांस्ट्रक्टिव सुझाव आते हैं उनपर मैं उम्मीद करता हूं सरकार गौर करेगी और साथ ही इस कार्पोरेशन के अधिकारीगण इन सारे मामलों पर उसी भावना से देखेंगे और उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

श्री नाथूराम अहिरवार (टिकमगढ़) : सभापति महोदय, फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया को स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछले समय में सरकार ने देखा कि जब कभी कोई सूखा पड़ता है या कही बाढ़ आती है तो खाद्यान्न का अभाव हो जाता है और उस समय जो गल्ले के व्यापारी है, जो बिचौलिये हैं वे उस अभाव का नाजायज फायदा उठाकर किसानों से सस्ते दामों पर गल्ला खरीद कर कंज्यूमर को ऊंचे दाम पर बेचते हैं। 1965 में जब फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया की स्थापना की गई थी उस समय केवल एक ही उद्देश्य था कि विदेशों से जो गेहूं अपने देश में आता है उसको हैंडिल करने के लिये हमारे पास भी एक ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये जोकि उसको लेकर देश के हर राज्य में पहुंचा सके। इसी उद्देश्य से जो बन्दरगाह थे वहां पर इसकी स्थापना की गई। फिर 1966 में इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिये इसको और मजबूत बनाने के लिये सरकार ने इस कार्पोरेशन के काम को और अधिक बढ़ाया। बाद में सरकार ने इस बात को भी देखा कि जब हम चाहते हैं किसानों को फर्टिलाइजर दें, उनके लिये सिंचाई के साधन बढ़ायें उसके बाद भी इस देश में जो इतना गल्ला पैदा होता है, उसको पैदा करने वाले किसानों को उसकी कम कीमत क्यों मिल रही है और जो उसको खाने वाले उपभोक्ता है, शहरों में या देहातों में, उनको महंगी कीमत क्यों देनी पड़ रही है। इस बात को समाप्त करने के लिये सरकार ने सपोर्ट प्राइस की प्रथा चलाई यानी बाजार में एक निर्धारित कीमत पर वह गल्ला खरीदेगी। अगर उससे अधिक कीमत कहीं पर किसान को मिलती है तो वहां पर वह उसको बेचेगा ही लेकिन उससे कम कीमत पर सरकार गल्ले को न बिकने देकर एक निर्धारित कीमत पर उसको खरीद लेगी। इस सपोर्ट प्राइस से काफी लोगों को फायदा पहुंचा और यह प्रथा बराबर चली आ रही है। लेकिन इसमें भी व्यापारी लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं, उसका नाजायज लाभ उठाते हैं तो फिर सरकार को सोचने के लिये मजबूर होना पड़ा कि एक तो हम सपोर्ट प्राइस रखें और उधर दूसरों से गल्ला खरीदवायें इसलिये प्रयोग के तौर पर गेहूं के थोक व्यापार को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय सरकार ने इस बात की घोषणा की कि गेहूं के थोक व्यापार को हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक बड़े व्यापारी ने मुझे बताया कि आपकी सरकार के पास क्या इंटेलिजेन्स है, हमारे गल्ले के व्यापारियों ने देश भर के ग्रेन ट्रेडर्स को टेलीग्राम दे दिया

[श्री नाथूराम अहिरवार]

था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से पैसे लेकर जितना कोर्स ग्रेन है उसको गेहूं से ड्योढ़े दामों पर खरीदना शुरू कर दो, इसके लिये तुमको पैसा देंगे और आप इस बात को देखेंगे कि जिस वक्त से आपने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लिया उसी दिन से बाजार में ज्वार, बाजरा मक्का के दाम ऊपर चले गए। इस बात का असर किसानों पर पड़ा कि ज्वार, बाजरा, मक्का तो बाजार में मंहगे भाव पर बिके और हम अपना गेहूं सस्ते भाव पर दें। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने जो 81 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था वह 45 लाख टन तक ही पहुंच पाया। जो छोटे किसान थे उन्होंने तो 76 रुपये में अपना गल्ला दे दिया लेकिन जो बड़े किसान थे उनको व्यापारियों ने एडवान्स देकर गल्ला उनके पास रोक दिया। उसके बाद फिर चारों तरफ देश में हड़तालें हुईं, बन्द हुए और फिर मजबूर होकर सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे रीजन के, उनको खोला। अब वह गल्ला 140–145 के भाव में बिक रहा है तथा वे किसान आज रो रहे है जिन्होंने 75 रुपये के भाव में अपने गल्ला बेच दिया था।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता हूं मैं ने वहां पर गांव गांव में जाकर साढ़े तीन लाख क्वींटल की खरीद करबाई जब रेस्ट्रिक्शन था तब गेहूं का भाव 85 रु० क्वींटल था लेकिन आज वहां पर जो बड़े किसान हैं उन्होंने हजारों क्वींटल गेहूं बीज के नाम पर डेढ़ रुपए में महाराष्ट्र में जाकर बेचा। इस तरह से हमारी फूड कार्पोरेशन किसानों को सही कीमत दिलाना चाहती थी उसका असर उल्टा हो गया। या तो फिर आपको रेस्ट्रिक्शन हटाना नहीं चाहिए था क्योंकि अगर हम राज्य सरकारों को कहते हैं तो वे कहती हैं यह रेस्ट्रिक्शन आपने हटवाया। इस प्रकार सारा दोष आप पर आता है। इसके बारे में आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए कि हमारे जो किसान हैं उनको गल्ले की सही कीमत मिले और उपभोक्ता को भी सही दाम पर गल्ला मिले।

एक बात और है। आप जो गल्ला खरीदते हैं, मैंने खुद सेन्टर्स पर जाकर देखा है कि तीन बार छान कर गल्ला लेते हैं लेकिन जब वही गल्ला फेयर प्राइस शाप्स पर पहुंचता है तो पता नहीं कहां से उसमें बजरी और कचरा आ जाता है। तो इस बात को भी देखने की जरुरत है। इन बातों से फूड कार्पोरेशन बदनाम होता है। इसके लिए हमको देखना चाहिए की आखिर यह होता कैसे है? मैंने स्वय जाकर देखा है सेन्टर्स पर। एक सेन्टर पर एक क्वालीटी इन्सपेक्टर थे जिसकी समझ में हिन्दी नहीं आती थी। यह पब्लिक अंडरटेकिंग है, हमारे मध्य प्रदेश में 1600 आदमियों की भर्ती फूड कार्पोरेशन में हुई जिसमें 200 आदमी मध्य प्रदेश के हैं और बाकी ऐसे एरिया से आये है जहां गेहू कभी देखा नहीं तो फिर वे गेहू की ग्रेडिंग कैसे करेंगे? पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए नियम यह है कि लोकल आदमियों को एम्प्लाय किया जाये लेकिन हमारे यहां ऐसे आदमियों को रखा गया है जिन्होंने कभी देखा नहीं कि गेहूं का दाना कैसा होता है, गेहू का पौधा कैसा होता है और उन लोगों से आप गेहू का ग्रेडिंग करवा रहे हैं। इसलिए इन चीजों को आपको दूर करना पड़ेगा और जो लोकल आदमी हो उन्हीं में से क्वालिटी इंस्पेक्टर्स रखने चाहिए।

जहां तक गोडाउन्स की बात है, सरकार के गोडाउन्स में 18.40 लाख टन की कैपेसिटी है। कई जगहों पर आपके पास

उपयुक्त स्थान न होने की वजह से जो गेहूं खरीदा जाता है वह प्राइवेट मकानों में रख दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्य सरकारों से कहें या किसी भी तरह से आपके पास गोडाउन्स की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर कि गल्ला सुरक्षित रखा जा सके क्योंकि प्राइवेट आदमियों के यहां जो गल्ला रखा जाता है उसमें पिल्फ़ेज और दूसरी गड़बड़ी की बातें होती हैं। मेरे देखने में यह बात आई है कि एक आदमी पांडे था जोकि मेट था लेबरों के उपर उसको गोडाउन-कीपर बना दिया जहां पर दो लाख क्वींटल गल्ला रखा था। पिछले साल की बात है कि दो ट्रक गेहूं सेन्टर से खरीद कर आया और बाहर ही बाहर चला गया, आजतक उसका कोई पता नहीं। वह सस्पेंड है लेकिन आज भी होटल में बैठ कर दो मुर्गे वह रोज खाता है। तो सरकार मेहनत करके इतना गल्ला खरीदती है, इतना पैसा खर्च करती है लेकिन उसका दुरुपयोग होता है तो उसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसी प्रकार से मैं ने अखबार में एक खबर पढ़ी, ब्लिट्ज में कि ईस्टर्न रीजन में कर्मचारियों की जितनी तनख्वाह होती है उसकी आधी रकम के मेडिकल रिइम्बर्समेंट के बिल दे रहे हैं तो इस बात को भी चेक करना चाहिए कि वह कितना बीमार होते हैं। फिर इतना सरप्लस स्टाफ रखा गया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम वैसे तो अच्छा काम कर रहा है, और किसानों को राहत मिली है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी है प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ उन की सांठ-गांठ हो जाती है। इसलिये आप कोआपरेटिव्ज के जरिये से गल्ला खरीदिये, प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ-सांठ गांठ नहीं होनी चाहिये। मेरे जिले में कोआपरेटिव सोसायटीज से गल्ला खरीदा जाता था, लेकिन पास में ही उत्तर प्रदेश में प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ बेच दिया जाता था। दिन में अगर चार ट्रक गल्ला लिया गया तो एक ट्रक भारतीय खाद्य निगम को मिलती थी और तीन ट्रकें 80 रुपये में खरीद कर 115 रु० में व्यापारियों को बेचते थे। मैंने शिकायत की थी कि इन खामियों को दूर करना चाहिये। लेकिन कोई कारगर कदम उस दिशा में नहीं उठाया गया। आप अपना स्टाफ बढ़ाते चले जा रहे हैं, साथ ही काम में गड़बड़ भी बढ़ती जा रही है। अगर ट्रेडर लोग ऐसा करते तो भूखों मर जाते। इसलिये आप को सोचना चाहिये कि घाटा क्यों हो रहा है। मैं मानता हूं कि भारतीय खाद्य निगम ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो हमारी आवश्यकता की चीजें दे सकता है, लेकिन इस की व्यवस्था गडबड़ है। एक अनपढ़ प्राइवेट ट्रेडर उसी काम को कर के लाभ कमाता है, और खाद्य निगम में इतने पढ़े लिखे आदमी होते हुए भी घाटा उठाना पड़ रहा है, इस बारे में मंत्री महोदय को गहराई से सोचना चाहिये।

एक बात और है कि जो भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी हैं वह राज्य अधिकारियों की बात नहीं मानते। अगर कोई गलती करता है तो कलेक्टर की बात नहीं मानता। वह कहता है कि अगर कोई शिकायत है तो एफ०सी०आई० के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को लिखिये। जब तक उस को लिखा जाय तब तक यहां चौपट हो जाएगा। इसलिये मध्य प्रदेश सरकार को वस्तु व्यापार निगम बनाना पड़ा दुखी हो कर, क्यों कि वह अपने को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारि मानते है। इसलिये इन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिये, या जिस राज्य में काम करे वहां की डिस्ट्रीक्ट अथोरिटीज के अधीन काम करें। इन बातों पर विचार कर के सरकार आवश्यक

(श्री नाथूराम अहिरवार)

सुधार करें तो इस संस्था को बहुत हितकारी देश के लिय बनाया जा सकता है, और जो हमारा उद्देश्य है समय पर लोगों को जरूरत की चीज पहुंचा सकें वह भी पूरा हो सकता है । इसलिये भारतीय खाद्य निगम की वतमान व्यवस्था में काफी सुधार की आवश्यकता हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे ।

Mr. CHAIRMAN : Shri S. S. Mohapatra—absent. Shri P. Gangadeb.

SHRI P. GANGADEB (Angul) : Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the subject under discussion. When Mr. Atal Bihari Vajpayee and other Opposition friends of ours have spoken and are capable of putting things in a very colourful way, in the usual manner, I do not know whether I shall be able to bring him my points. A few words that I have to say in the matter, I am confident, will be understood in the right spirit.

In the present state of affairs, when economic indicators are not to our liking which is true specially on the price front, it is quite natural that the people get emotional and our Members representing opposition parties are no exception of it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : You belonged to the Opposition.

SHRI P. GANGADEB : I was once. But rightly, I have come to this side. Naturally, when things prove to be hard, one seems to find out scapegoats. But that is not the answer to the problem that we are discussing now. I believe we have got to think and discuss objetively if we desire to find concrete solutions.

We have before us the case of the Food Corporation of India. It is an important organisation which procures, stocks and distributes foodgrains. If its performance falls short of expectation to us all, it does not go unnoticed. It is, after all food and food is very important. It is not steel; it is not machinery. It is food which is being dealt with by this organisation and we should not forget that.

I am happy to find that the Government have realised the fact that the FCI as not been doing too well. I am also happy at the same time that efforts are being made sincerely by the Government undoubtedly, we have seen that in the past efforts are being made sincerely by the Government to improve its working and thereby its image.

Sir, as the FCI functions under the public eye, every facet of its working needs improvement. I, therefore, suggest that it is necessary to review the procedure of procurement. The storing and transportation facilities need improvement What is important is that food should be available in right quantities, of right quality and at the right place and specially at the right time.

Sir, the FCI, if I may say so, has become not only a monolithic organisation as I said in a previous speech some time back but it also enjoys a monopoly. Both hamstring efficiency. I suggest for the consideration of the Government that the FCI should split up into a number of corporations, both on regional basis and on commodity basis. One may say that it adds to overheads but, I think, it can be compensated by the benefits of competition and decentralisation in management. After all, we have a number of nationalised banks which compete among themselves ....

AN HON. MEMBER : Also insurance.

SHRI P. GANGADEB : Yes; insurance also, as my hon. friend points out.

Therefore, the question automatically arises: why not the same type of competition encouraged in the case of food procurement, management and distribution?

I would like to make another point here. I would suggest that the price of foodgrains and other staple food should be uniform all over the country. The consumer, whether at Calcutta or Delhi or Madras or any other place, should get rice or wheat at the same price. I think, the hon. Minister will think over and give his reply to this suggestion.

I would like to end by saying that food has always been a sore point with us and I do hope that the FCI will further streamline their administration to overcome adverse public scrutiny.

श्री राम नारायण शर्मा (धनबाद) : फूड कारपोरेशन को स्थापित करने का जो उद्देश्य था वह बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसको उपभोक्ता और उत्पादक के बीच की कड़ी बनना था। उत्पादक को कम कीमत दे कर उपभोक्ता से अधिक लेने की जो कड़ी होती है उस कड़ी को तोड़ कर उपभोक्ता को सस्ती से सस्ती कीमत पर और उत्पादक को मुनासिब कीमत दे कर, सामान उपलब्ध करने का काम इस कारपोरेशन को करना था। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संस्था में लगभग चालीस हजार लोग लगे हुए हैं। लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में जो काम हो रहे है उनको जब हम देखते हैं तो जो खामियां नजर आती है उनको दूर करना बहुत आवश्यक है। उनकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। अगर सरकार उनको दूर कर सके या कारपोरेशन दूर कर सके तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है।

मै मानता हूं कि जब मंडियों में अनाज खरीदा जाता है तो उस वक्त भी कारपोरेशन का जो स्टैंडर्ड है वह एक नहीं होता है। जब किसान से, उत्पादक से खरीदते है तो एक दर से खरीदते हैं और जिस चीज को कारपोरेशन रद्द कर देता है और उस को उत्पादक मिडलमैन को बेच देता है उसीं को जब ये उससे खरीद लेते हैं तो क्या होता है? हमारे भाई श्री अहिरवार बता रहे थे कि कचरे कहां से आ जाते हैं? उन कचरों के आने का जरिया वही है, उन्हीं रास्तों से ये आ जाते है। वे कचरे उपभोक्ता को मिलते हैं।

साथ ही खरीद और बिक्री इन दोनों की दरों में जितना अन्तर दुरव्यवस्था की वजह से आ जाता है उतना अन्तर होना नहीं चाहिये। व्यवस्था अगर उचित हों तो वह अन्तर नहीं आना चाहिये।

कारपोरेशन के गोदामों में जो गल्ला रखा जाता है वहां उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं रहता है। कोई नहीं देखता है कि जो माल पहले आया उसको पहले निकाल कर उपभोक्ता को दिया जाए और जो पीछे आया वह स्टोर में रहे। इस की वजह से लाखों लाख टन गल्ला बरबाद हो जाता है। वह मनुष्य के उपभोगता में आने लायक नहीं रह जाता। इतना ही नहीं सरकारी गोदामों में आम तौर पर देखा गया है कि वायुमंडल का असर बराबर सूखने का ही होता है अनाज वजन में बढ़ने का नाम नहीं लेता। वह सूख करके घट ही जाता है फिर चाहे बरसात का समय हो, छत चूती हो या अन्न भीगा हुआ हो। जो इसके लिए जिम्मेबार होते हैं उनको अपना काम ठीक से करना चाहिये।

इतना ही नहीं। वितरण का जो काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह अनाज भेजने की बात होती है उस में भी अधिकारियों का हाथ साफ नहीं रहता हैं और जिस नीयत से वे काम करते है, जो प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारियों में होती है वही इन में भी आ गई है। उनकी भी प्रवृत्ति यह हो गई कि तनख्वाह तो वे नौकरी में रहने के लिये पाते है, काम करने के लिये उन्हें क्या मिलता है और अधिक से अधिक कैसे उनको मिल सकता है, अधिक से अधिक उपार्जन किस प्रकार कर सकते है, इसकी चिन्ता उनको लगी रहती है ?

उपार्जन करने की दृष्टि से एक अलग व्यवस्था आपको मालूम ही होगा वर्कर्स मैनेजमेंट की कहीं पर भी आज नहीं है इस देश में लेकिन फूड कारपोरेशन में है हैंडलिंग का प्रश्न जब आता है, बोरों

[श्री राम नारायण शर्मा]

को हैंडल करने का आता है या दूसरी व्यवस्था को चलाने का आता है तो वर्कर्स मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी एक्स-प्लायटेशन होता है और मैनेजमेंट का भी होता है। मेरे भाई जो वर्कर्स मैनेजमेंट में विश्वास करते है वे मुझे माफ करेंगे कि वर्कर्स मैनेजमेंट का बहाना बना करके ट्रेड यूनियन को ठेकेदार बना दिया गया है और वे ट्रेड यूनियन जो हैं वे एक तरह से उनकी साझेदार हो जाती है और उसके बाद इस तरह का झमेला पैदा करती है जिससे कि जितने आज फूड कारपोरेशन में खास कर ट्रेड यूनियन के डिसप्यूट पैदा होते है उतने कहीं नहीं होते है और उस सब की तह में आप जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन में यही बात रहती है कि या तो आमदनी के बटवारे का झगड़ा है या कोई और इस तरह का झगड़ा हो और उस झगड़े को लेकर सारा डिस-ट्रीब्यूशन का सिस्टम सिलोकेट होता है और उपभोक्ता को जो मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता और उसको बाजार में जा कर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दुगुने भाव दे कर बाजार से चीज को खरीदना पड़ता है। मै एक उदाहरण आपको देता हूं। वर्कर्स मैनेजमेंट में जिस तरह से अनफेअर प्रेक्टिसिस में ये इडल्ज करते है वह आपको मैं बतलाना चाहता हूं ताकि सरकार इसको समझे और अपने अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आए। हमारी आई० एन० टी० यू० सी० के प्रेसीडेंड को एक जगह इस तरह का डिसप्यूट पैदा करके एस० सी० आई० ने उनको आर्किट्रेटर माना और आर्किट्रेटर का जो फैसला हुआ उसको वर्कर्स ने तो मान लिया लेकिन मैनेजमेंट ने आज तक नहीं माना। जो भगवती जी ने फैसला दिया उस फैसले को ट्रेड यूनियन वालों ने तो मान लिया और अपना आन्दोलन खत्म कर दिया लेकिन मैनेजमेंट के लोग आज तक यह कह रहे है कि वे इसको मानते नहीं है बल्कि कहते है कि मानते है लेकिन माना नहीं और उसको लागू नहीं किया आज तक जो हिस्सा उनको लागू करना था उसको उन्होंने लागू नहीं किया।

जिस उद्देश्य को लेकर एफ सी आई को कायम किया गया है उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि ठीक तरह से काम किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो उसकी प्राप्ति की दिशा में हम दूर से दूर भागते चले जायेंगे।

15 hrs:

SHRI JYOTIRMOY BOSU : On a point of order. I want to know how much of the time has been consumed out of the allotted time? There must be some limit to this.

MR. CHAIRMAN : The balance of time left is only two hours.

It was started at 13.45 hours.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI (Shajapur) : When is the Minister likely to reply?

MR. CHAIRMAN : This is the last day of the debate. This is my difficulty. I shall give only five minutes to each Member.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : May we know when is the Minister replying?

MR. CHAIRMAN : At 3-30 P.M. he will reply provided the Members stick to their timing.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डे (गोरखपुर) : सभापति महोदय माननीय सदस्य, श्री अटल-बिहारी बाजपयी ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी भावना की कद्र करते हुए भी, इस बारे में उन का जो आन्तरिक विचार, निहित विचार है, मैं उस विचार को समर्थन नही दे पाऊंगा। मैं समझता हूं कि श्री बाजपेयी आज-कल जो प्रस्ताव रखते हैं, उन के पीछे उन

का यह मकसद छिपा रहता है कि कुछ प्रदेशों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन को दृष्टि में रखते हुए वह एक खास वर्ग के लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं। जिस उद्देश्य को ले कर यह फूड कार्पोरेशन बनाया गया है, उस को वह भूल जाते हैं और अपने पथ से विचलित हो जाते हैं।

मैं मानता हूं कि फूड कार्पोरेशन को जो काम करना चाहिए, वह उस को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं ने भी तो यही बात कही थी।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : आज जब देश में चीजों के भाव बढ़ रहे है और महगाई हो रही है, किसान अलग परेशान हैं और उपभोक्ता अलग परेशान हैं तो ऐसा लगता है कि अगर मंत्री महोदय और खाद्य मंत्रालय ने फूड कार्पोरेशन के सम्बन्ध में दखल नहीं दिया, तो पता नहीं, वह हम को कहां ले जायेगा। उस का एडमिनिस्ट्रेशन टाप-हैवी हो गया है। हैंडलिंग पर कितना खर्चा पड़ता है, सामान को खरीद कर उपभोक्ताओं को किस भाव पर दिया जाता है, सरकार को कितना डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ेगा, ये सब प्रश्न खाद्य मंत्रालय के सामने है, और देश के भी सामने हैं।

खाद्यान्न के बारे में क्या नीति अख्त्यार की जाये, उस का वितरण किस प्रकार से किया जाये, ताकि हम बाजार को उन तत्वों के हाथ में न जाने दें, जो किसानों को लूटना चाहते है और बाजार भाव को ऊंचा ले जाते हैं, फूड कार्पोरेशन का यह खास मकसद था। लेकिन मैं मानता हूं कि फूड कार्पोरेशन उस ध्येय की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। उस में कहीं न कहीं कोई कमजोरी और विकार है, जिस को खाद्य मंत्रालय को दूर करना चाहिए।

अब मैं उस विषय के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस में मैं विशेष दिलचस्पी लेता हूं, और वह चीनी के बारे में है। पिछले दो तीन सालों में हमारे देश में कभी साढ़े तीस लाख टन पैदावार हुई, कभी 38 या साढ़े 38 लाख टन हुई और आज हमारा लक्ष्य 45 लाख टन का है। आज न केवल दुनिया के बाजार में, बल्कि हमारे देश के बाजार में भी, चीनी का भाव ऊंचा उठता चला जा रहा है। जब हमारा कंजम्प्शन 40 लाख टन का है, हमारा प्राडक्शन का लक्ष्य 45 लाख टन का है और 5 लाख टन का हमारा एक्सपोर्ट करने का कमिटमेंट है, तो फिर क्या कारण है कि सरकार ने 30 परसेंट चीनी को फ्री छोड़ दिया है? सरकार 30 परसेंट का बफर स्टाक क्यों नहीं बनाती है? इस लिए फूड कार्पोरेशन का यह भी लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारे जीवन का एक उपयोगी सामान है, जिस का भाव बढ़ रहा है, जिस के उत्पादन और एक्सपोर्ट के लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी है, उस के बाजार को कंट्रोल करने के लिए फूड कार्पोरेशन को न केवल चीनी को भी अपने हाथ में लेना चाहिए, बल्कि उस का बफर स्टाक भी बनाना चाहिए, ताकि हम चीनी के क्षेत्र में आत्म-निर्भर हो सकें, उस की प्राइसिज शूट अप न करें और उस को बड़े बड़े मोनोपलिस्ट्स के हाथों से ले लिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय सदस्य ने 40 लाख टन का जो प्राडक्शन फिगर बताया है, क्या उन्होंने उस में आर्टिफिशल अंडर रीकवरी को भी जोड़ लिया है? अगर वास्तव में रीकवरी 25 परसेंट ज्यादा हो, तो प्राडक्शन ज्यादा होगा।

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : सभापति महोदय, जहां तक फूड कार्पोरेशन बनाने की मंशा और जरूरत का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सब तरक्की-पसन्द लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि फूडग्रेन्ज का टेकओवर होना चाहिए, और उस का इन्तजाम सही होना चाहिए। इस में भी कोई सन्देह नहीं है कि

[श्री मुल्की राज सैनी]

सहकारिता या सरकार के ज़रिये ही बिचौलियों को बीच में से निकाला जा सकता है ।

बहुत हद तक यह ठीक है कि जिस मंशा और जिस तरीके से काम हुआ है, उस से हमारी उम्मीदें पूरीं नहीं हुई हैं । खराबियां हैं और उन को दूर करने की जरूरत है । लेकिन असली खराबी उन इन्सानों की वजह से होती है, जो काम करते हैं । फूड कार्पोरेशन में जो अधिकारी और कर्मचारी भर्ती किये जाते हैं, जैसी उन की क्वालिटी होती है, वैसा ही काम होता है । कई लोक शुद्ध आत्मा से, राष्ट्र की सेवा और जनता की मुहब्बत की भावना से, काम करते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी देते हैं, लेकिन ऐसे आदमी बहुत कम होते है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य फूड कार्पोरेशन के वर्किन्ग पर बोलें ।

श्री मुल्की राज सनी : मैं यह कह रहा हूं कि जो आदमी काम करता है, अगर उस की क्वालिटी सही नहीं है और वह अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है, तो अच्छा से अच्छा काम भी खराब हो जाता है । यही बात फूड कार्पोरेशन में हुई है ।

इस सदन में हम सुना करते ह कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, गलत काम करती है । लेकिन जिन कार्पोरेशनज़ को हम जनता की सेवा के लिए बनाते है, उन का नियंत्रण भी आखिर में जा कर जनता और सरकार के हाथ में न रह कर नौकरशाही अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ में चला जाता है । इस का कारण यह है कि कहीं कानून में खामी है । मुझे मिनिस्टर साहब से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां इंडिपेंडेंट कार्पोरेशन बनाने का जो कानून है, उस के अन्तर्गत मंत्रालय उस कार्पोरेशन को बनाने तक का तो हक़दार है, लेकिन जब वह कार्पोरेशन बन जाती है, तो मंत्रालय को उस में दखल देने का कोई कानूनने हक़ नहीं होता है । जब भी हम कोई बात करते हैं किसी कारपोरेशन की तो उस का जवाब यही मिलता है कि हम तो उस में दखल नहीं दे सकते । फिर कौन दखल देगा ? आप से सवाल पूछा जायगा तो जवाब तो आप देंगे । काम खराब करेंगे अधिकारी और कर्मचारी और जवाब यहां आप देंगे । तो मेरी मंशा यह है कि कानून में कहीं खामी है । इसलिए उस कारपोरेशन के कानून में तब्दीली होनी चाहिए कि मंत्रालय अगर जबाबदेह है तो उसे दखल देने का भी अधिकार कहीं होना चाहिए । लेकिन आज वह नहीं है । इसलिए हमारा असली मंशा पूरा नहीं होता । हम चाहते हैं कि क्वांटिटि ठीक रहे, क्वालिटी ठीक रहे, फेयर प्राइस पर सामान मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन सही हो । इन चीजों में हमारा दखल नहीं होता है तो काम खराब हो जाता है । तो कानून में, नियमों में, रूल्स और रेगुलेशंस में कुछ ऐसी तब्दीलियां होनी चाहिएं कि वह अधिकारी और कर्मचारी जिन को हम ने ही नियुक्त किया है उन का सही तरीके से कहीं हम कंट्रोल भी कर सकें और जो दोषी है, उन को दण्डित कर सक तथा अच्छों को बढ़ावा दे सकें ।

अब इंसीडेंटल चार्जेज़ की बात आती है । पहले भी इस पर बहस हुई है । इंसीडेंटल चार्जेज़ प्राइवेट ट्रेडर अपनी दूकानों में भी करते थे । हमारी समझ में नहीं आता है, जिस वक्त हम ने यह किया होगा, उस के लिए कमेटी बैठाई होगी, एक्सपर्टस की राय ली होगी, बहुत तरह की राय ली होगी, लेकिन उस वक्त भी यह बहस होती थी कि उन के चार्जेज़ 12-13 रुपये फी-क्विटल होते हैं, जब कि हमारे 26-27 रुपये फी क्विटल होते हैं । इसी तरह से स्टोरेज की बात है । मई जून के अंदर गेहूं रखा जाता है । जब जुलाई अगस्त में निकाला जाता है बारिस के बाद तो उसके अंदर प्राइवेट ट्रेडर हो या मैं अपना तजुर्बा कहूं, या कोई भी कहे, उस में लाज़िमी तौर पर म्वायस्चर अवश्य आ जाता है, लेकिन उस गेहूं की बढ़ोत्तरी मुकहमा कहीं नहीं दिखाता । यह सोचने काबिल

बात हैं । इस में कितना रुपया वह खा जाते हैं । मतलब सारा यह है कि इस में कहीं न कहीं वर्किंग में, सुपरविज़न में कानून कायदे में कमी या कुछ ऐसी खराबी है कि जिस को दूर करना चाहिए । ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है । मतलब जिम्मेदारी कोई नहीं है उन की, जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की है और काम करते हैं हमारे अधिकारी और कर्मचारी । उन को यह भी पता नहीं होता, मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो हम ने फूड ग्रेन्स का टेक ओवर किया था उस में उन्होंने कितने लोगों के खिलाफ कम तोलने पर, ओपेन मार्केट में माल बेच देने पर, करप्शन करने पर कार्यवाही की ? मैं तो यह समझता हूं कि प्राइवेट ट्रेडर काम करता है प्राफिट के मोटिव से, लेकिन हमारे यहां जो सरकारी कर्मचारी आते हैं वह मनी मेकिंग के लिए आते है । उन को सर्विस तो करनी नहीं है, उन को पैसा कमाना है । इसलिए हर मौके पर जो उन के हाथ आता है वह पैसा कमाते हैं और अपनी बिल्डिगें, अपनी कोठियां बनाते हैं । जो मंशा है इस को बनाने का वह अच्छा है । मैं फिर इस का समर्थन करता हूं । कारपोरेशन की जरूरत है और वह रहेगा । लेकिन उस में जो खराबियां हैं वह निकाली जानी चाहिएं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, यहां कई माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया कि भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों की संख्या अधिक है । जहां तक मेरी जानकारी है उन का ऐसा कहना बिलकुल गलत है । वह अधिक नहीं हैं । अफ़सर अधिक हो सकते हैं । अफ़सरों के खिलाफ तो आप कुछ बोलने को तैयार नहीं होते । वह भारतीय खाद्य निगम हो या कोई और सरकार का विभाग हो वहां अफ़सर बढ़ते जाते हैं, साधारण कर्मचारी कम होते जाते हैं । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि 40 हजार टोटल कर्मचारी हैं जिस में सरकार के मुताबिक 945 छांटे जाने वाले हैं । शायद इतने ही उन के अनुसार ज्यादा हैं । इस से ज्यादा इन्होंने भी उस को नहीं माना है । लेकिन दूसरी तरफ इस विभाग में 7 हजार कर्मचारी डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से लिए गए हैं । आप अगर चाहें तो एक हजार को वापस कर के उन को अपने पुराने विभागों में रख सकते हैं । उन के छांटने की फिर जरूरत नहीं होगी । तो मेरा यह सुझाव है कि आप को ऐसा ही करना चाहिए । डेपुटेशन वालों को आप अपने विभाग में भेज दीजिए और जिन को आप छांटने वाले हैं उन को आज की संकट की स्थिति में मत छांटिए क्यों कि वे तो वर्षों से आप के यहां काम कर रहे हैं, उम्र भी नहीं रही, दूसरी कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, भूखे मारे मारे फिरेंगे ।

इसी तरह से जो पल्लेदारी करने वाले हैं जो गोदामों में सामान उतारते और चढ़ाते हैं गाड़ियों के ऊपर उन को भी छंटनी की जा रही है । वहां पहले ठेकेदारी प्रथा थी । आप ने ठेकेदारी प्रथा को उठाया । उस के लिए मैं आप का स्वागत करता हूं । अच्छा किया । लेकिन वर्षों से जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उन में से सैकड़ों को आप छांट रहे हैं । मैं खुद जानता हूं, हमारे पटना में, दीघा, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर और कटिहार में तथा बिहार के दूसरे स्थानों में आप सैकड़ों कर्मचारियों को छांट रहे हैं । वे लोग इसके विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं । आप से मांग कर रहे हैं कि उन्हें बाज़ाब्ता स्थायी तौर पर रख लिया जाय, जैसे औरों को रखा गया है । लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया और दीघा में तो एक दर्जन मजदूर जिनको 1 नवम्बर से निकाला गया, वे बेचारे भूख हड़ताल कर रहे हैं, मजदूर नेता श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में . . .

सभापति महोदय : आप ट्रेड यूनियन को हर जगह ले आते हैं । थोड़ा सा जिक्र कर दिया वह काफ़ी है, अब आगे अपनी बात कहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : उन के नेतृत्व में 12 आदमी जेल में हैं। उन को छुड़वाइए।

करप्शन की, भ्रष्टाचार की बात बहुत कही गई। यह पूरा निगम ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे लोगों से भरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस की एन्क्वायरी आप कराएं। सब से अच्छा होगा कि एक संसदीय एन्क्वायरी कमेटी बैठाइए ताकि तमाम गड़बड़ियों का पता लगा-कर निकाला जा सके और जनता के सामने रखा जा सके कि इतने आवश्यक विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और किस तरह से मिलावट होती है, किस तरह से गड़-बड़ी चलती है, किस तरह से वहां कम तोल की जाती है। राशन के दूकानदार परेशान हैं। उन्हें कम राशन दिया जाता है। इन तमाम बातों की एन्क्वायरी की जाय। यह तभी संभव है जब आप एक संसदीय जांच समिति बनाएंगे, वरना आप उन को पकड़ नहीं सकेंगे। ऊपर से नीचे तक उस में भ्रष्टाचार का घोटाला है।

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI F. A. AHMED) : Sir, I am indeed greatful to Shri Vajpayee who has brought this matter before this House and also the other Members who have participated in the discussion for giving us an opportunity to make improvements in a matter which is of vital importance to the country.

I have with attention listened to the various observations and criticisms made by the hon. Members with regard to this matter. I welcome the many suggestions and criticisms which have been given by them and I also compliment the hon. Members barring one or two speeches all of whom practically have taken a constructive attitude in offering their suggestions.

Now, so far as the working of the Food Corporation is concerned. I would be the last person to claim perfection for it. At the same time, I would like to point that since the Food Corporation was established in 1965, during a span of about seven or seven and a half years, it has done very useful service to the country. There have been some defects; there have been some failures; there have been some shortcomings. No one will deny that. But, taking an overall picture, one will be convinced that so far as the working of the Food Corporation is concerned, it has been doing very good service, very useful work, and but for this to day we would have been in a very difficult situation and I feel that even the hon. Members, while making criticisms, realised this. They have already said that the Food Corporation has come to stay and will stay and the only thing with which they are concerned is, how its working should be bettered and imporved.

One view of Shri Vajpayee with which I do not agree is when he brought in the question of the take-over of the wholesale trade in wheat and said that it is because of this policy the implementation by the Food Corporation has flopped. If we take into consideration the procurement of cereals and other foodgrains by the Food Corporation during the past few years we will find that the Corporation has not only implemented its target but has also procured much more than the targets fixed. It is only last year when we expected a procurement of nearly 8.1 million tonnes of wheat, we have been able to procure a little over 4.5 million tonnes of wheat. But if on the account alone we say that the Corporation has failed, I think we will be doing injustice to the Corporation. While I would not like to narrate all the factors before the House, most of which are well known, it was mainly because of those factors that it was not possible for the Corporation to achieve the targets fixed for it. The target fixed for the Corporation was about 27 lakhs tonnes of wheat out of which it procured 12 lakhs tonnes. The balance had to be procured by other bodies like State Governments and so on. It was because of diffierent circumstances that this could not be done. So, I would request hon. Members not to connect the wholesale trade take over with the failure of the Food Corporation to achieve its target. The Corporation has done good work and I hope in the future also it will discharge all the responsibilities entrusted to it.

Then I come to handling charges, which has been mentioned not only by Shri Vajpayee but by several other hon. Members of the House. It is also

being discussed outside the House. The charge is that the handling charges are continuously going up. He said that according to press reports the handling charges have gone up to Rs. 56 from Rs. 20 to 32. He wanted me to throw some light on this. I would deal with this point in order to clear the misapprehension and misgivings in the minds of the hon. Members so that everyone will know that what is reported in the press is not exactly the correct position. First of all, I would like to point out that there are two elements in the handling charges, namely procurement costs and distribution costs including movement and storage. I we look at the figures for the last two or three years, the distribution cost including movement and storage was Rs. 15.51 per quintal of sales in 1971-72, Rs. 13.16 per quintal of sales in 1972-73 and Rs. 13.07 per quintal for the current year 1973-74.

The handling charges incurred by the Corporation, therefore, show a downward trend and not an upward trend. I have quoted these three years figures and, from this, it will be apparent that the trend is not upwards but it is downwards.

It may be added that the distribution cost includes the cost of carrying the buffer stock in addition to the operational stock. The procurement cost, including the cost of gunny bags, purchase tax, State Government administrative charges, incurred by the Corporation was Rs. 10.81 in 1971-72, Rs. 10.57 in 1972-73 and Rs. 10.80 in 1973-74. Thus the procurement cost incurred by the Corporation is also, more or less, at the same level in the last three years. Including of the procurement cost, the total cost incurred by the Corporation was Rs. 26.32 per quintal in 1971-72. It has gone down to Rs. 23.95 per quintal in the current year, 1973-74.

This needs the impression created that these charges are going up. My submission before the House is that, accord ng to the facts and figures available with us, the trend is that they are going down.

Secondly, sometimes, it is asked why so much is charged as overhead charges by the Food Corporation of India. I would like the hon. Members to understand that, so far as the procurement charges are concerned. Rs. 1.92 p., that is nearly Rs. 2 are paid on account of *mandi* charges, including the commission. This is a matter over which the Food Corporation has no control. We have to pay these charges *mandi* labour 0.58 ; forwarding charges—0.44; internal movement charges—0.67; handling charges -0.31; interest 0.63; gunny bag Rs. 3.44 purchase/sales tax -2.23 and State Government charges 0.4. All these constitute 10.80 There is no scope whatsoever so far as the reduction in these charges is concerned.

So far as the question of distribution charges is concerned, the transit loss is 1.67; freight Rs. 4.29; godown handling charges 0.71; godown charges—1.9; interest --Rs. 4.39; administrative overhead charges—2.57. This is one item which can be examined and a certain scrutiny can be made. For that purpose, we have appointed a committee to go into the question, to what extent administrative charges which are in the nature of about Rs. 3 can be reduced. Therefore, I would like the hon. Members to consider, when Rs. 25 to Rs. 26 are mentioned as procurement and distribution charges, it does not mean that this indicates the administrative charges of the Food Corporation. This includes a large number of items over which the Food Corporation has no control whatsoever.

I can assure the hon. Members that both my junior colleague and myself are looking into the matter and we shall see to what extent we can further reduce the administrative charges and bring down the cost, so far as the cost of procurement and the cost of distribution is concerned.

Again, here, one point has been raised as to why the cost of gunny bags should not be charged. That is a matter which has to be examined. But, unfortunately, so far as the Food Corporation is concerned, they hand over the wheat or rice, whatever it is, and then it is issued. So far as we are concerned, we have only to include the subsidy which the Government of India has to give, There fore, this matter has not been considered. We shall see to what extent we can recover or add to the cost of distribution so far as gunny bags are concerned.

[Shri F. A. Ahmed]

This is a matter which we shall examine.

Another point which the hon. Member mentioned was about illegal gratification to employees of Food Corporation in Bombay. I think, this position was explained in relpy to Unstarred Question No. 159. What actually happened was this. Some of these trucks used to bring helpers for the purpose of loading the bags into the truck. When these trucks did not bring the helpers, the labour which was entrusted with the duty of bringing the bags from the port to the truck said that unless and until we gave them additional charges at the rate of Rs. 5 per truck, they would not put the bags in the truck. They insisted on that. Because there was scarcity of food stuff and the Bombay Government was anxious to see that these were immediately taken delivery of and distributed to all the centres, Rs. 5 per truck were paid for the purpose of getting over this difficulty. But when this matter was brought to our notice, we took up the matter with the Bombay Government. We have now ensured that the labour is not allowed to charge Rs. 5. So, this practice has also been stopped.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 25 रुपये की फीगर कैसे आई ?

SHRI F.A. AHMED : That is not correct. It was only Rs. 5/- per truck. Your information that it was Rs. 35/- is not correct.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : The Public Undertakings Committee, in its latest report, has criticised the increase in your overheads.

SHRI F.A. AHMED : I think, I have already explained the position giving the details of every item which is being charged. Even after that if the hon, Member is not satisfied. I cannot make him understand the position.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : The information that you give is not correct, (*Interruptions*)

SHRI F.A. AHMED : Another important matter to which Mr. Vajpayee drew my attention was regarding the medical charges. I do not exactly remember the figure. I think, he mentioned more than Rs. 1 crore in one year which was the expenditure on account of medical charges. Most of that was in West Bengal. I think about Rs. 80 or 83 lakhs. This matter has been brought to our notice and we are making an inquiry, Wherever we find that this has not been done properly, action will be taken. Now we are thinking of revising this method of allowing people to have medical charges and I hope that it will result in further economy and will remove the complaint which the hon. Member has made.

There was some complaint about some irregularity at Kanpur. I think, it was mentioned by Mr. Banerjee. So far as my information goes, no such complaint has been broutht to our notice. Since this matter has been referred by him, I will see that this matter is also enquired into and necessary action is taken.

There was a question of blockage of funds by the State Governments. It has been stated by the hon. Member that nearly Rs. 234 crores are due from the State Government and they have not been realised by the Food Corporation. I would like to make this position very clear, I think, there is also some misunderstanding with regard to this figure. The position is like this. The outstanding recorveries of the Corporation as on 31st August 1973 are Rs. 234 crores. Now, this includes Rs. 57 crores of debts recoverable from the State Governments. not Rs. 297 or 234 crores. Out of the amount of Rs.234 crores due to FCI, the only amount due from the State Governments is Rs. 57 crores for supplies made to them and Rs. 137 crores on account of subsidy from the Central Government and other bodies. So, it is not exactly that the whole amount is due from the State Governments. The Corporation is taking steps to recover the amount from the State Governments as expeditiously as possible.

Here, I would like to explain that this includes the dues during the last three months and also dues prior to six months. I think I have got the figures with regard to these dues. There is a very small amount of a few crores which are due prior to six months, This is a continuing transaction. Sometimes the bills are forwarded later on and they take two to three month's

time. So, the dues become overdue, We are taking steps for their recovery as early as possible. At present, the system is that whenever the bill is presented, they pay 95% of the bill and the balance they pay after some time. it is the realisation of the balance 5 % that is taking some time and it is on account of that these dues have occurred. But we shall see to what extent we can ask the State Government to improve upon the method of payment which we have been pursuing for the past so many years.

The other important matter which has been raised by the hon. Member is about retrenchment of 945 employees by FCI. Now, so for as my information goes, the number is not exactly 945, it is under 800. I think when Mr. Vajpayee was mentioning this figure, Shri Banerjee mentioned that t was 1200 . . .

SHRI S. M. BANERJEE : 1242 reverted and 945 retrenched.

SHRI F. A. AHMED : My information is that it is less than 800 people. I do not exactly remember the number, it is 700 odd. Now, the whole position is that when we have been undertaking this programme of take over of whole sale trade in wheat, a large number of employees were recruited for the purpose of doing that temporary work. Only for that period. Now when that period is over, they had to be retrenched. Therefore, what we have decided is that whenever we make any fresh recruitment . . .

SHRI S. M BANERJEE : My point was this. There are 7,000 deputatio ist who have come from the Railways and other departments, They are getting 20% extra deputation allowance . . .

SHRI F. A. AHMED : I will deal with that point also, My submission is that these people were recruited on the understanding that they are holding office temporarily and for that particular work they were required. When this work is no longer there, when the godowns are empty and no one is required to look after the godowns, it is not necessary that these people should be kept in employment. Therefore, they have been given retrenchment notice. But I have taken a policy decision that whenever new vacancies arise and any one is to fill up that vacancy, it is these persons who have been retrenched who will be given preference, and whenever we see vacancies arise next season and so on, they will be taken in employment . . .

SHRI S. M. BANERJEE : But the Census Department employees who were found surplus to the requirements have not been retrenched but they have been absorbed, why not follow the same thin g here also?

SHRI F. A. AHMED : The Hon. Member raised the question of dealing with people who have come on deputation. The kind of people who have come on deputation are not the kind of people who have been retrenched. It is not the same category of people. So, this question does not arise, So far as these people are concerned we are giving the first priority consideration whenever new vacancies arise or new people are recruited for additional work and so on. So, that action has been taken.

Then somebody complained that the Food Corporation of India has taken over the responsibility of distribution also, I would like to point out that so far as the distrubution is concerned it is essentially a responsibility of the States. We do not want to interfere with the responsibility of the States in distributing foodgrains and other essential commodities in their own States. Only when we are requested by some of the States (like Delhi, West Bengal, Kerala and parts of Madhya Pradesh and Orissa) we undertook this responsibility for the purpose of helping those States. If they want to take it over we have no objection; we shall be glad to hand over this responsibility of distributing foodgrains in their own States; it was at their instance that we have taken over this distribution in particular States and if they want to do it themselves we have no objection and therefore I do not know why this question was raised. I think Mr. Kiruttinan is coming from Tamil Nadu. We have not taken over the distribution of foodgrains in Tamil Nadu. I do not know why this question was raised. Regarding what Shri Vajpayee has raised, I would like to say that the work of the Food Corporation of India is increasing in enormity tremendously. And if we find that some State Governments are prepared to undertake the responsibility of procurement we have no objection in sharing w th them th

[Shri F. A. Ahmed]

task of procuring all over the country. I have said, I shall not stand in your way of doing this work provided two conditions are satisfied, namely, (1) You must let me know the quantity of procurement in your State; (2) You must tell me how much you will contribute to the Central Pool as your share so that I may undertake the responsibility of food distribution all over the country; and (3) whatever may be the number of employees in the Food Corporation, when you form this for purposes of procurement, they will be taken over by you. If those conditions are satisfied I have no objection in coming to terms, in coming to settlement with the State Governments for the purpose of handling over.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Do they want their own employees?

SHRI F. A. AHMED : Not actually. Some of the employees engaged in the Food Corporation are mostly from the States. We generally give preference to the employees of the State. It will be taking over or sending back their own employees to a great extent, but this is a matter which can be settled and we shall see that the employees from the FCI are not displaced when such an arrangement takes place.

One Member raised that as against the number of private rice mills, which were 57,100 there were only 655 cooperative mills. This is so. And therefore, our policy for the future is, whenever licence is given, we are giving preference to cooperative mills and we are trying to establish some rice mills in the Govt. sector; in the fifth plan we have a programme of establishing 40 rice mills. We shall see to what extent this can be improved. Then, there was some complaint made that rice mixed with iron or wheat mixed with iron was supplied to some of the States.

I Would like to point out that so far as iron is concerned, I do not know what gain does the person get by mixing the iron with rice or with wheat because iron is much more expensive than rice or wheat.

When this complaint was brought to our notice, we had this matter investigated and we found that in some of supplies which were made by Haryana and Punjab, some very major particles of iron were found in rice. That was because—we were told that in Punjab and Haryana, harvesting is done through mechanised means. Very small particles of iron might have got mixed up. We have, therefore, issued instructions that before the foodgrains are issued to the consumers they should be cleaned and every possible step should be taken in this regard so that a complaint of this type may not come up again.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं ने कहा था कि महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री, श्री पवार ने पत्रकारों को सूचना देते हुए यह आरोप लगाया कि इस प्रकार के 4 00 टन चावल को जो उपभोक्ताओं को बांटने के लिये पहली मई को राशन में दिया जा चुका है, वापस लेने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं क्योंकि खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये गये चावल में लोहे के कण थे। यह मैं कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैकेनाइज़ेशन से नहीं हो सकता। क्या खाद्य मंत्री समझते हैं कि मैकेनाइज़ेशन से लोहे के कण आ सकते हैं ?

15.48 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER—*in the Chair.*]

SHRI F. A. AHMED : We have got it examined. There were some particles of iron, and instructions have been issued that before they are supplied to the consumers they will see to it and action will be taken in this regard. Punjab is using mechanised means for harvesting. How can we ask them to stop harvesting by mechanised means?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर बहुत बड़ी संख्या में। क्या फ़ूड अडलट्रेशन ऐक्ट भारतीय खाद्य निगम पर भी लागू होता है कि नहीं ? अगर होता है तो किसी अफ़सर के खिलाफ इसके अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ?

SHRI F. A. AHMED : Shall particles got mixed up. I was told that it was not a big quantity, It was only a small quantity

श्री अटल बिहारी वाजपयी : राज्य मंत्री जी मना कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की गई।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : हमारे अफ़सर जब अडलट्रेशन करते ही नहीं तो कार्यवाही कैसे होगी ?

SHRI F. A. AHMED : Shri Vajpayee might have noticed that our Minister who is now in charge of Public Health and Medicine has issued a statement that he is looking into this matter as to how loopholes in legislation can be overcome and how the difficulties faced by the people can be overcome. He will soon come forward with the necessary proposal before this House.

Another question which has been raised is about the large number of storage godowns remaining vacant, particularly those belonging to the private persons. I would like to inform the House that we are continuously examining the position, and whenever we find that some storage capacity is not required, it is given back to the owners. The accommodation which was dehired in 1972-73 was 10·72 lakh tonnes, and from April, 1973 to September, 1973 we have dehired in respect of 9·10 lakh tonnes. We shall further examine what further storage godown capacity could be dehired.

Shri Samar Guha had raised an objection to the expenditure on the security sections This relates not only to security but to security *cum* vigilance division. On the one hand, hon. Members want that we should be more careful to see that there is no wastage and there is no loss or pilferage, but on the other, when action is taken by us to see that these things are stopped, objection is raised. I would only like to point out that this has become necessary because of the many complaints coming and because of the necessity to tighten up the loss from storage godowns. This proposal has been approved by the board and the posts will be filled up by adjustments made within the staff who have been retrenched or are available from our department.

Shri Shankar Dayal Singh gave the figure of the number of people employed. I do not know wherefrom he gave the figure. According to my information, the number of employees as on 31st March, 1973 was 50,522. But he was giving the figure of 57,000 or so. He was complaining that earlier a figure of 44,000 or 46,000 had been given. But those figures did not include the deputationists and, therefore, there was this discrepancy between the two figures.

Shri Goswami had raised the question of setting up a zone in Assam. I can only tell him that the matter is under consideration. But for the present, to help the eastern region, we have set up a regional office and after this matter is again considered by us we shall consider this question of a zone for the eastern region.

These are some of the important points hon. members had raised, I hope I will get their co-operation in the task which has been undertaken by my new Chairman in improving the working of this Corporation.

Before I conclude, I would like to give some information about some of the cases pending investigation. Reference was made to some of the cases which are pending investigation by the CBI. I think one of these referred to the purchase of mustard oil and the purchase of *dal*. The matter was investigated by the CBI. A charge-sheet has been submitted against Shri Iqbal Singh and two other employees of the Corporation.

Now so far as the sale of maize to Messrs Bharat Starch Chemicals is concerned investigation is in the final stage. After, I get the report, I shall be able to know what the situation is. So far as the sale of maize to Messrs Jhandu Mal Mohanlal and Kohinoor Mfg. Co. is concerned, according to present information, there is sufficient evidence for prosecution of the firms and the matter is being examined in consultation with Law Ministry and on receipt of their opinion necessary action will be taken in this matter.

There is one matter about irregularities in the contract for transportation of foodgrains to Assam. In this matter, the alle-

[Shri F. A. Ahmed]

gation was not substantiated, but the report was sent the Central Viglance Commission and because an FCI official was found to have made payments in contravention of head office instructions, we are awaitng them.

As regards purchase of wooden crates, investigation is in the final stage.

This is the position with regard to the several matters concerning which investigation is pending with the CBI.

श्री अटल बिहारी वाजपयी (ग्वालियर) : यह चर्चा काफी रचनात्मक रही है । हम सभी आशा करते हैं कि खाद्य निगम अपने कार्य में और सुधार करेगा और जो गम्भीर दायित्व उसको सौंपा जा रहा है उसका ठीक तरह से निर्वाह करेगा ।

मंत्री जी ने काफी मुद्दों पर प्रकाश डाला है । लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिन के बारे में 'सदन कुछ जानना चाहेगा । अभी हमारे मित्र श्री पांडे ने यह मामला उठाया था और पहले भी यह उठ चुका है कि हम फूड कारपोरेशन को चीनी को हैंडल करने का काम क्यों नहीं सौंप सकते हैं ? क्या यह जरूरी है कि यह काम विभागीय आधार पर हो ? चीनी को मिलों से लेकर उसे बाजार में बेचने तक का काम फूड कारपोरेशन को सौंपा जा सकता है । इस में कौन सी कठिनाई है ?

दूसरी बात कर्मचारियों की छंटनी के बारे में है । मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह किसी को सन्तोष नहीं दे सकता । जो कर्मचारी आज नौकरी से निकाला जा रहा है, जिस के सामने कल गुजारा कैसे होगा, यह सवाल है उससे आप कहें कि जब जगह खाली होगी तब तुमको भरती कर लिया जाएगा तो वह पूछेगा कि तब तक मेरा पेट कैसे भरेगा ? हम लोगों ने यह बात यहां कही थी कि किसी भी अफसर की छंटनी नहीं हुई है । अफसरों की संख्या बढ़ रही है । कर्मचारी निकाले जा रहे हैं ।

16 hrs.

एक बात और मैं कहना चाहता हूं । भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत हैं । लेकिन कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाश में लाने में जो योगदान दिया है, उसकी सराहना की जानी चाहिए । पुराने चेयरमैन आज अगर कटघड़े में खड़े हैं और उन पर सी० बी० आई० चार्जशीट लगा रही है—मैं आशा करता हूं कि उन पर मुकदमा भी चलेगा —तो उन सारे मामलों को अगर किसी ने प्रकाश में लाया है तो कर्मचारियों ने लाया है । अगर सरकार खर्च कम करना चाहती है, तो निगम के कर्मचारी इस में भी योगदान दे सकते हैं । जो अपव्यय हो रहा है, उस की रोक-थाम करने में भी वे मदद दे सकते हैं । उन को विश्वास में लेने की ज़रूरत है ।

एक माननीय सदस्य : कर्मचारी भी दूध के धोये नहीं हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपयी : मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी कर्मचारी अच्छे हैं । यह तो कोई अफ़सरों के बारे में भी नहीं कह सकता है । और माफ़ कीजिए, क्या पार्लियामेंट के मेम्बरों के बारे में यह कहा जा सकता है ? मगर मैं किसी प्रिविलेज मोशन में अपराधी बन कर खड़ा होना नहीं चाहता हूं ।

मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय छटनी के बारे में विचार करें । इस समय किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालना ठीक नहीं है । अगर मानवीय दृष्टिकोण से भी सोंचें, तो ऐसे लोगों पर बड़ा भारी संकट हैं । जो लोग काम पर लगे हैं, उनको खपाने की बात होनी चाहिए । जब सरकार कार्पोरेशन की गतिविधियों का विस्तार करना चाहती है, तो छोटे

छोट कर्मचारियों को निकाल कर बचत नहीं होगी। गनीबैग्ज़ का मामला कई साल से उठा रहा है। उस में करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। मंत्री महोदय अभी उस पर विचार कर रहे हैं और उस के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। मगर वह 800 कर्मचारियों को निकालने के बारे में तुरन्त फ़ैसला कर लेते हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें। वह इस पर भी प्रकाश डाले कि कार्पोरेशन चीनी को क्यों नहीं हैंडल कर रही हैं।

16.02 hrs.

STATEMENT STRIKE BY LOCO RUNNING STAFF

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before we take up the next discussion there are two pending items. One is the statement by the Railway Minister and the other is the statement by the Home Minister regarding the complaint of Shri Halder.

The Railway Minister.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI L. N. MISHRA) : I have already made a statement on 17-12-73 in the House explaining the circumstances under which the Loco Running Staff have gone on strike in December, 1973 in spite of the fact that the Committee under the Chairmanship of the Deputy Minister for Railways is still functioning and discussions are being held. I have also announced in the Parliament that the implementaion of the 10 hours duty for running staff on the Railways has already commenced and that this will be completed in phased manner in three years time. All the other assurances given to the locomen have also been implemented.

I have told more than on one occasion that if any individual grievances have been left out unredressed, it should be brought to my notice and I would look into it personally. This position stands even today. Under these circumstances, there is absolutely no reason to go on strike and cause inconsiderable damage to national economy and great inconvenience to the people.

As regards the 10 hours duty, I want to make it clear that the agreement reached in August, 1973 was that the mode and manner in which the 10 hours duty can be implemented will be discussed by the Committee under the Chairmanship of the Deputy Minister for Railways, and details worked out within a period of 6 weeks. Due to the complexity of the subject and the widely divergent points of view of the Official side and the Staff side, the Committee could not complete their deliberation on this subject within 6 weeks. In-fact, Staff side had wanted more time to furnish details to show as to how the implementation of the 10 hours duty can be done in less than 4 to 5 years. The implications of implementing the 10 hours duty are—

(1) recruitment and training of about 20,000 additional loco running staff,

(2) constructing a large number of additional running rooms and augmenting capacity of existing running rooms,

(3) constructing about 10,000 additional quarters for the running staff, and

(4) constructing additional loops and line capacity works for a large number of stations to facilitate crew changing at intermediate points in between the present run of engine.

It is estimated that the total cost of all these works will be about Rs. 38 crores. It may be seen that large scale expansion and creation of physical assets and training of a large number of persons will require a minimum of 3 to 4 years. On the other hand, the running staff side were of the view that the implementation can be effected in 90 days time.

It is only after carefully considering all the aspects that I made the announcement in the Parliament that implementation of 10 hours duty will be implemented in a phased manner in three years time from 1st December, this year. As a matter of fact, special efforts have been taken to implement this assurance. It is in spite of this assurance by me that the loco running staff went on strike on the Western Railway on the 26th November, 1973, clearly with the object of cocreing the Qureshi Committee, the meeting of which was to be held on 29th Nov. 1973. The strike started at Gandidham, Abu Road, Baroda Kankaria, Ahmedabad, Godhra, Ratlam,